# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता 102 कंचन अपार्टमेंट एलबीएस कालेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर – 302004 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह। **– प्रार्थी**

**बनाम**

1 श्री घनश्याम लाल जोशी पुत्र भवानी शंकर जोशी **–ऋणी**
पता :– कृष्णा कॉलोनी, उपली ओडन, राजसमंद, राजस्थान–313301
दूसरा पता :– 209/4, भीम जी की मगरी, उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद, राजस्थान 313301

2 श्री प्रियंका जोशी पत्नी श्री घनश्याम जोशी **–सहऋणी व बधंककर्ता**
पता :– भानसोल गडवाडा मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान 313204
दूसरा पता :– 209/4, भीम जी की मगरी, उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद, राजस्थान 313301

3 नानालाल पालीवाल पुत्र सुख लाल पालीवाल **–जमानती**
पता : 10, भीम जी की मगरी, उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद, राजस्थान 313301

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 38/2020**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 24.11.2020**<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 23.10.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।<br>प्रार्थी कम्पनी को भारत के राजपत्र मे दिनांक 24.10.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ड) के उप खंड (4) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया।<br>अप्रार्थीगण को वित्तीय संस्था ने खाता संख्या 72744 को दिनांक | |

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

08/03/20 को ऋण रुपए 6,50,000/– का ऋण स्वीकृत किया एवं ऋण वितरण रुपये 6,50,000/– किया। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनभुर्गतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित मकान को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया जिसका विवरण निम्नांकित है :– बंधक सम्पति का विवरण :– श्रीमती प्रियंका जोशी पत्नी श्री घनश्याम जोशी की सम्पति जो कि कृषि प्लॉट नं. 08, गांव उपली ओडण, आराजी नं. 2692/753, कृष्ण कॉलोनी, तहसील–नाथद्वारा, जिला–राजसमंद, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी प्लाट माप 1120 वर्ग फीट है। उतर :– रोड, दक्षिण में :– महेश चंद्र गुर्जर का प्लॉट नं. 17 जो कि खसरा नं. 753 में स्थित है, पूर्व में :– प्लॉट नं. 7 खसरा 753, पश्चिम :– प्यारेलाल का आंशिक रूप से निर्मित मकान।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर 15/07/2019 अप्रार्थीगण के खाते को एनपीए घोषित कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया रुपये 6,34,600/– अक्षरे रुपये छः लाल चौंतीस हजार छह सौ मात्र दिनांक 13/01/2020 तक व आगे का का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट इण्डिया ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 16.01.2020 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हें देय राशि का भुगतान प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को नहीं दिया।

उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। उक्त नोटिस के तामिल के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया तथा ना ही उक्त नोटिस की तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही ली गई। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्युटराईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 16.01.2020 को जारी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :– श्रीमती प्रियंका जोशी पत्नी श्री घनश्याम जोशी की सम्पति जो कि कृषि प्लॉट नं. 08, गांव उपली ओडण, आराजी नं. 2692/753, कृष्ण कॉलोनी, तहसील–नाथद्वारा, जिला–राजसमंद, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी प्लाट माप 1120 वर्ग फीट है। उतर :– रोड, दक्षिण में :– महेश चंद्र गुर्जर का प्लॉट नं. 17 जो कि खसरा नं. 753 में स्थित है, पूर्व में :– प्लॉट नं. 7 खसरा 753, पश्चिम :– प्यारेलाल का आंशिक रूप से निर्मित मकान है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)